

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर**  
**पत्रांक- 9512 / मी0क्षे0 / 33दिनांक, मीरजापुर, फरवरी 08, 2022**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दल कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50हे० आरक्षित वन भूमि का 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाध्यक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/24551/2017)

सन्दर्भ:-

- 1- अनु सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या-1917/81-2-2021-800(106)/2021 दिनांक 27.01.2022
- 2- आपका पत्र संख्या-2232/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक 27.01.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित कमियों के निराकरण के पश्चात संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या - 2434/रेनुकूट/15-108 दिनांक 01.02.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियों के निराकरण के पश्चात आख्या संस्तुति सहित निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:-

क्र०सं०	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या-1917/81-2-2021-800(106)/2021 दिनांक 27.01.2022 में अंकित बिन्दु।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन विभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दल कोल फील्ड लि० बीना परियोजना के बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50हे० आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाध्यक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक प्रकरण में वन भूमि को 30 वर्षों के लीज पर दिये जाने की निर्धारित तिथि (कब से कब तक) क्या होगा ? तथा इसका आशय <b>Previous Year</b> से है। कृपया इस संबंध में संस्तुति सहित आख्या शासन को अधिलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि की लीज अवधि 30 वर्ष की होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होने वाले आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इसका आशय <b>Previous Year</b> से नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दु की आख्या एददसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- अ / समदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, पत्र संख्या - 2434 / रेनुकूट / 15-108  
दिनांक 01.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक-2434 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, 01-02- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:- 1-अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 1917/81-2-2021-800(106)/2021 दिनांक- 27.01.2022  
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2232/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 27.01.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन द्वारा मोंगी गयी वांछित सूचना निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 1917/81-2-2021-800(106)/2021 दिनांक- 27.01.2022 में अंकित बिन्दु ।	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड लि० की बीना परियोजना के बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक प्रकरण में वन भूमि को 30 वर्षों के लीज पर दिये जाने की निर्धारित तिथि (कब से कब तक) क्या होगा ? तथा इसका आशय Previous Years से है । कृपया इस संबंध में संस्तुति सहित आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि की लीज अवधि 30 वर्ष की होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होने वाले आदेश की तिथि से प्रभावी होगा । इसका आशय Previous Years से नहीं है ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

मनमोहन मिश्र  
02/02/22